रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2003.]

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 22 दिसम्बर, 2003/1 पौष, 1925

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-2, 22 दिसम्बर, 2003

संख्या वि0 स0-गवर्नमैंट बिल/1-115/2003.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हि0 प्र0 कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2003

(2003 का विधेयक संख्यांक 22) जो आज दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

जे0 आर0 गाज़टा,
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

2003 का विधेयक संख्यांक 22

हिमाचल प्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2003

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, 1969 (1970 का 9) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2003 है ।

(2) यह 25 नवम्बर, 2003 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 21 का संशोधन ।

(1970 का 9)

2. हिमाचल प्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, 1969 की धारा 21 में "एक रुपये" शब्दों के लिए "दो रुपये" शब्द रखे जाएंगे ।

2003 के अध्यादेश संख्यांक 9 का निरसन और व्यावृत्तियां ।

3. (1) हिमाचल प्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2003 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, 1969 (1970 का 9) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसार मण्डी समितियां अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा लाई गई/विक्रय की गई कृषि उपज पर, प्रत्येक सौ रुपए पर एक रुपए से अनधिक दर पर फीस उद्गृहीत करती है, जो बोर्ड द्वारा नियत की जाए । मण्डी समितियों द्वारा इस उद्ग्रहण के परिणाम स्वरूप संगृहीत की गई निधियां ही मण्डी समितियों/हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड की एक मात्र आय है। इस निधि का मण्डी समितियों के माध्यम से किसानों के विकासात्मक क्रियाकलापों हेतु उपयोग किया जाता है। वर्ष 1996 से पूर्व विपणन बोर्ड/मण्डी समितियों को भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सहायता अनुदान भी दिया जाता था । इस प्रकार दी जाने वाली समस्त सहायता भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बन्द कर दी गई है । अतः बोर्ड/समितियों को स्वयं अपनी निधि उत्पन्न करके अपना अस्तित्व बनाए रखना पड़ रहा है। इस कारण भी सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ है और विपणन संरचना को सुधारने के उद्देश्य से माननीय मुख्य मंत्री ने 2003-2004 के अपने बजट-भाषण में यह घोषणा की है कि प्रत्येक सौ रुपए पर मण्डी (मार्केट) फीस की विद्यमान दर को एक रुपए से बढ़ाकर दो रुपए कर दिया जाए। माननीय मुख्य मंत्री की बजट घोषणा की अनुपालना के दृष्टिगत उपर्युक्त अधिनियम की धारा 21 का संशोधन करने का विनिश्चय किया गया ।

2. क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, 1969 में तुरन्त संशोधन करना अनिवार्य हो गया था, इसलिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (2003 का 9) को 24 नवम्बर, 2003 को प्रख्यापित किया गया था और जिसे 25 नवम्बर, 2003 के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था । अब उक्त अध्यादेश को नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है ।

3. यह विधेयक उक्त अध्यादेश को, बिना किसी उपान्तरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

राज कृष्ण गौड़,
प्रभारी मन्त्री ।

शिमला
तारीख ..... दिसम्बर, 2003.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्धों के अधिनियमित होने पर विपणन (मार्किट) बोर्ड/मण्डी समितियों को प्रतिवर्ष लगभग दस करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 22 of 2003.

THE HIMACHAL PRADESH AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (AMENDMENT) BILL, 2003

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Agricultural Produce Markets Act, 1969 (*Act No.* 9 *of* 1970).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fourth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title and commencemen.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Agricultural Produce Markets (Amendment) Act, 2003.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 25th day of November, 2003.

Amendment of section 21.

9 of 1970)

2. In section 21 of the Himachal Pradesh Agricultural Produce Markets Act, 1969, for the words "one rupee", the words "two rupees" shall be substituted.

Repeal of Ordinance No. 9 of 2003 and savings.

3. (1) The Himachal Pradesh Agricultural Produce Markets (Amendment) Ordinance, 2003 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As per provisions of section 21 of the Himachal Pradesh Agricultural Produce Markets Act, 1969 (Act No. 9 of 1970), Market Committees levy fee on Agricultural produce brought/ sold by licensees in the notified market area at the rate not exceeding one rupee for every one hundred rupees as may be fixed by the Board. The funds collected as a result of this levy by the Market Committees, is the only income of Market Committees/ Himachal Pradesh Marketing Board. This fund is utilized for developmental activities of the farmers through Market Committees. Prior to 1996, Marketing Board/Committees were given Central Assistance by the Government of India as well as grant-in-aid by the Himachal Pradesh Government. All kinds of such assistance have been discontinued by the Government of India and the Government of Himachal Pradesh. Thus the Board/Committees have to sustain by generating its own funds. This has also received the attention of Government and in order to improve marketing infrastructure, the Hon'ble Chief Minister in his Budget Speech of 2003-2004 announced that the existing rate of market fee may be enhanced from one rupee to two rupees for every one hundred rupees. With a view to implement the budget announcement of Hon'ble Chief Minister, it has been decided to amend section 21 of the Act *ibid.*

2. Since the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the Himachal Pradesh Agricultural Produce Markets Act, 1969 had to be amended urgently, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under clause (1) of article 213 of the Constitution of India promulgated the Himachal Pradesh Agricultural Produce Markets (Amendment) Ordinance, 2003 (Ordinance No. 9 of 2003) on the 24th day of November, 2003 and the same was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on the 25th day of November, 2003. Now the said Ordinance is required to be replaced by regular enactment.

3. The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance without modification.

RAJ KRISHAN GAUR,
Minister-in-Charge.

Shimla :
Dated.....*December*, 2003.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill if enacted will yield additional annual income of ten crore rupees approximately to the Market Board/Market Committees.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित